तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
5/4/23	पत्रावली आज दिनांक 3-4-23 को राजकीय अवकाश होने के कारण पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/4/23 को पेश हो।
10/4/23	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख०नं० 3021 रकुवा 0.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम खान-सूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर से सटी हुई आराजी ख०नं० 3020 अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी है। जिसकी आड मे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी मे जबरदस्ती कब्जा कर अतिक्रमण करना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण

vivo V30 | AURA LIGHT
Tariq Anwar

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौके पर खसरा नम्बर 3021 की पैमाइश कर पुलिस इमदाद की उपस्थिति में मुड्डी गाढी कराये जाने के आदेश दिये जाने की माँग की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी स० 1लगा० 4, 6लगा० 14 की न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 15/7/22 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी स० 5 के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 29/3/23 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी के अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।	

vivo V30 | AURA LIGHT
Tariq Anwar

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
4/11	अतः आदेश है कि — प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct स्वीकार किया जाकर आराजी ख० नं० 3021 रकवा 0.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर का भू-प्रबन्ध विभाग के नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश तहसीलदार रूपवास को दिये जाते है। तहसीलदार रूपवास को इस आशय की कैफियत जारी हो। सीमाज्ञान एव पत्थरगढी मे जो खर्चा आवें, वह प्रार्थीगण से वसूल किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो अखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Sd/-	

Tariq Anwar